

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 09/04/2024

क्रमांक/रीडर/2024/166/2024

निमित्त-

तहसीलदार काछोला

विषय:- प्र.सं. 166 / 2024 अनवान बालूलाल पुत्र लक्ष्मण दरोगा निवासी काछोला बनाम जमनालाल पिता रामपाल आचार्य निवासी काछोला, भूरा पिता मांगू आचार्य निवासी ~~दिल्ली~~ मनोहर देवी पत्नी खाना आचार्य निवासी काछोला, सरजू देवी पत्नी बंशीलाल आचार्य निवासी काछोला, तहसीलदार काछोला की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 3370/79, 79 कुल किता 02 रकबा 0.2995 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

बालूलाल पुत्र लक्ष्मण दरोगा निवासी काछोला  
बनाम

जमनालाल पिता रामपाल आचार्य निवासी काछोला वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 166 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
09-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 3370/79, 79 कुल किता 02 रकबा 0.2995 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है  </p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111 / 128 रा.ले.रे. एकट स्वीकार जाता है, ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 3370/79, 79 कुल किता 02 रकबा 0.2995 हेक्टेयर भूमि स्थित भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीशनर नियुक्त किया जाता है   कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार काछोला को लिखा जावें   तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)